



माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर



(पुँवारका, सहारनपुर, उ०प्र०, पिन-247120)

Website- [msuniversity.ac.in](http://msuniversity.ac.in)

Email ID - [registrar@msuniversity.ac.in](mailto:registrar@msuniversity.ac.in)

पत्रांक : 1622 / 07 / प्रशा० / MSU / 2023-24

दिनांक : 08.12.2023

शीर्ष प्राथमिकता

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या

समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय

विषय: विधान सभा निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2024 अभियान में अर्ह/पात्र मतदाताओं के नाम निर्वाचक नामावली में शामिल किये जाने हेतु संकल्प पत्र का प्रेषण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक उप सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-3, उ०प्र० शासन के पत्र संख्या-3345/सत्तर-3-2023, दिनांक : 08 दिसम्बर, 2023 के साथ संलग्न संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ०प्र० के पत्र संख्या-551/रीईओ-6-59/6-2022, दिनांक : 04 दिसम्बर, 2023 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आयोग द्वारा अर्हता तिथि 01.01.2024 के आधार पर विधानसभा निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम गतिमान है। अर्ह/पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में पंजीकृत किये जाने के उद्देश्य से निर्वाचन हित/जनहित में संलग्न संकल्प पत्र अध्ययनरत् छात्रों को वितरण के उपरान्त भरे हुए संकल्प पत्र छात्राओं/छात्रों से वापस प्राप्त किये जाने है तथा इसकी पावती संबंधित को देते हुए संकलित सूचना निर्धारित प्रारूप पर ई-मेल [registrar@msuniversity.ac.in](mailto:registrar@msuniversity.ac.in) पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे समस्त सूचनाओं को संकलित करते हुये शासन को अवगत कराया जा सके।

संलग्नक - यथोपरि।

भवदीय

(वीरेन्द्र कुमार मौय)

कुलसचिव

प्रतिलिपि अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

01. उप सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
02. संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ०प्र०
03. कुलपति कार्यालय को कुलपति महोदय के सूचनार्थ।

उपकुलसचिव

प्रेषक,

एस0 पी0 मिश्र,  
उप सचिव,  
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,  
उच्च शिक्षा उ0प्र0  
प्रयागराज।

2. कुलसचिव,  
समस्त राज्य / निजी विश्वविद्यालय  
उ0प्र0।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक ०४ दिसम्बर, 2023

विषय: विधान सभा निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2024 अभियान में अर्ह/पात्र मतदाताओं के नाम निर्वाचक नामावली में शामिल किये जानें हेतु संकल्प पत्र का प्रेषण किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उ0 प्र0 के पत्र संख्या-551/ सीईओ-6-59-/6-2022, दिनांक 04.12.2023 की छायाप्रति संलग्नक सहित प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का पुनः निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में की गयी अपेक्षानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुये, कृत कार्यवाही से शासन को समयान्तर्गत अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,



(एस0 पी0 मिश्र)

उप सचिव।

"हर वोट है जरूरी, मतदाता के रूप में आज ही पंजीकरण करवायें"

# कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश

संख्या- 3345 / उत्तर-3-2023

चतुर्थ तल विकास भवन, जनपथ मार्केट लखनऊ-226001

संख्या- 551/सीईओ-6-59/6-2022

लखनऊ:

दिनांक: 04 दिसम्बर, 2023

सेवा में,

1- निदेशक,  
माध्यमिक शिक्षा,  
उत्तर प्रदेश।

प्रमुख सचिव कार्यालय में  
प्राप्त दिनांक 31/12/2023  
संख्या: 3002 / VPPSHED/2023

2- निदेशक,  
उच्च शिक्षा,  
उत्तर प्रदेश।

विषय: विधानसभा निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2024 अभियान में अर्ह/पात्र मतदाताओं के नाम निर्वाचक नामावली में शामिल किये जाने हेतु संकल्प-पत्र का प्रेषण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अवगत कराना है कि आयोग द्वारा अर्हता तिथि 01.01.2024 के आधार पर विधानसभा निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम गतिमान है।

2- इस संबंध में सभी अर्ह/पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में पंजीकृत किए जाने के उद्देश्य से निर्वाचन हित/जनहित में आपसे अपेक्षा की जाती है कि अपने अधीनस्थ शैक्षणिक संस्थाओं में सलग्नक में उपलब्ध कराये जा रहे संकल्प-पत्र को 18-19 आयु वर्ग के छात्राओं/छात्रों के मध्य वितरित कराने का कष्ट करें।

3- उक्त संकल्प-पत्र को वितरण के उपरान्त भरे हुए संकल्प-पत्र छात्राओं/छात्रों से वापस प्राप्त किये जाने हैं तथा इसकी पावती संबंधित को देते हुए संकलित सूचना निम्न प्रारूप पर इस कार्यालय के ई-मेल ceousection6@gmail.com पर उपलब्ध कराये जाने की भी अपेक्षा की जाती है:-

शैक्षणिक संस्थाओं में 18-19 आयु वर्ग के छात्राओं/छात्रों की कुल संख्या	वितरित किये गये संकल्प-पत्र की संख्या	वापस प्राप्त संकल्प-पत्र की संख्या

अतः कृपया उपरोक्त के संबंध में अपने अधीनस्थ शैक्षणिक संस्थाओं को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

No-4310/VIA/Ne/23  
DS(SPM) So-3

भवदीय,

(डॉ. अश्विनी कुमार मिश्रा)  
विशेष सचिव,  
उच्च शिक्षा विभाग,  
उत्तर प्रदेश शासन।

(मनीष शुक्ल)  
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी

संख्या- 551/सीईओ-6 दिनांक का-

उपरोक्त तिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1- अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।

2- प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।

(मनीष-शुक्ल)

संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी

### संकल्प-पत्र (RESOLUTION LETTER)

मेरे प्यारे मम्मी-पापा,

मुझे पता है कि आप मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरे भविष्य को अच्छा बनाने के लिए आप दिन-रात मेहनत करते हैं। मेरा भविष्य देश के मजबूत लोकतंत्र से भी जुड़ा है, इसलिए मैं आप से एक संकल्प करवाना चाहती हूँ /चाहता हूँ कि आप अपना नाम मतदाता सूची में जरूर चेक कर लें, यदि आप का नाम किसी कारण से अब तक मतदाता सूची में पंजीकृत नहीं है तो तुरन्त पंजीकृत करवा लें।

आप जानते हैं कि मैं भी 01 जनवरी, 2024 को 18 वर्ष की हो रही/ हो रहा अयवा हो गयी हूँ /हो गया है तो मेरा नाम भी मतदाता सूची में दर्ज करा दें, जिससे आप लोगों के साथ मैं भी आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 में अपने मत का प्रयोग कर सकूँ।

### माता-पिता का संकल्प

हम यह संकल्प लेते हैं कि अपना नाम मतदाता सूची में जरूर चेक करेंगे। यदि हमारा नाम मतदाता सूची में पंजीकृत नहीं है तो अपना तथा परिवार के 18 वर्ष और 18 वर्ष के ऊपर आयु के सभी सदस्यों का नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाने की कार्यवाही करेंगे, जिससे परिवार के सभी सदस्य आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 में मतदान कर सकें। इसके लिए अपने रिश्तेदारों एवं पड़ोसियों को भी प्रेरित करेंगे।

माता का नाम एवं हस्ताक्षर

पिता का नाम एवं हस्ताक्षर

नाम : .....

नाम : .....

हस्ताक्षर : .....

हस्ताक्षर : .....

पता : .....

पता : .....

मोबाईल नं० : .....

ई-मेल पता : .....

### पावती (ACKNOWLEDGMENT)

नाम : .....

पता : .....

मोबाईल नं० : .....

मुझे यह जान कर हर्ष हुआ कि आपने यह संकल्प किया है कि आप अपना नाम मतदाता सूची में जरूर चेक करेंगे। यदि आपका नाम किसी कारणवश अभी तक मतदाता सूची में पंजीकृत नहीं है तो अपना तथा परिवार के 18 वर्ष और 18 वर्ष के ऊपर आयु के सभी सदस्यों का नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाने की कार्यवाही करेंगे। जिससे परिवार के सभी सदस्य आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 में मतदान कर देश के लोकतंत्र को और मजबूत एवं सुदृढ़ करेंगे। साथ ही अपने रिश्तेदारों एवं पड़ोसियों को भी प्रेरित करेंगे।

धन्यवाद

मतदाता सूची में अपना नाम एवं मतदान केन्द्र की जानकारी तथा पंजीकरण के लिए-

मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश



मतदाता सूची में अपना नाम एवं मतदान केन्द्र की जानकारी तथा पंजीकरण के लिए-



मतदाता सूची में अपना नाम एवं मतदान केन्द्र की जानकारी तथा पंजीकरण के लिए-



हेल्पलाइन:

1950 / 1800 180 1350

@coop | @coo\_up

volceofvotersup